"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई. दिनांक 30-05-2001."

पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015."

# छत्तीसगढ़ राजपत्र

## (असाधारण)
## प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 662 ] रायपुर, सोमवार, दिनांक 18 अगस्त 2025 — श्रावण 27, शक 1947

राजभवन
रायपुर

रायपुर, दिनांक 18 अगस्त 2025

आदेश

क्रमांक एफ 1–4/2024/रास/यू.–5.— छत्तीसगढ़ स्वामी विवेकानंद तकनीकी विश्वविद्यालय अधिनियम, 2004 (क्रमांक 25, सन् 2004) की धारा 12 की उपधारा (1) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए माननीय राज्यपाल एवं कुलाधिपति, छत्तीसगढ़ स्वामी विवेकानंद तकनीकी विश्वविद्यालय, भिलाई द्वारा Dr. Arun Arora, Principal, Bhilai Institute of Technology, Durg (BIT-Durg) को कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से छत्तीसगढ़ स्वामी विवेकानंद तकनीकी विश्वविद्यालय, भिलाई का कुलपति नियुक्त किया गया है।

2. Dr. Arun Arora का कार्यकाल, उपलब्धियाँ तथा सेवा शर्ते उक्त अधिनियम एवं परिनियम में निहित प्रावधान अनुसार होगी।

हस्ता./–

**(सी.आर. प्रसन्ना)**
राज्यपाल के सचिव.



संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय मुद्रणालय, रायपुर से मुद्रित तथा प्रकाशित – 2025.